भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 791**
दिनांक 04.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

**नासिक में जल की निर्बाध आपूर्ति**

**†791. श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजेः**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) विगत तीन वर्षों के दौरान नासिक जिले में वर्तमान में बिना किसी रुकावट के 24x7 नल से जल की आपूर्ति प्राप्त करने वाले परिवारों का सांख्यिकीय ब्यौरा क्या है;
(ख) ठेकेदारों को भुगतान करने से पहले जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत जल आपूर्ति अवसंरचना की स्थिरता और गुणवत्ता की जांच करने के लिए नासिक में किए गए तीसरे पक्ष के निरीक्षणों का सांख्यिकीय ब्यौरा क्या है;
(ग) नासिक में घरों को आपूर्ति किए जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जल के नमूने की जांच की बारंबारता संबंधी आंकड़े क्या हैं और यदि कोई अनियमितताएं पाई गई हैं, तो वह क्या हैं;
(घ) नासिक जिले में स्थापित जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की क्षमता, प्रचालन की स्थिति और पेयजल के नमूनों की जांच के लिए निर्धारित दरों सहित उनका ब्यौरा क्या है; और
(ङ) नासिक में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में कौन-कौन सी प्रमुख चुनौतियां और बाधाएं आ रही हैं और विशेषकर पहाड़ी या जनजातीय क्षेत्रों में इन्हें दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख): पेयजल राज्य का विषय है और पेयजल आपूर्ति योजनाओं/परियोजनाओं की आयोजना, अनुमोदन और कार्यान्वयन का अधिकार राज्य सरकार में निहित है। भारत सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार में नल जल

आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए अगस्त, 2019 से जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन कर रही है। जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से ग्रामीण परिवारों तक नल जल की पहुंच बढ़ाने की दिशा में महाराष्ट्र राज्य में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 48.44 लाख (33%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना मिली थी। अब तक, राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, लगभग 83.92 लाख और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 01.12.2025 तक, राज्य के 146.78 लाख ग्रामीण परिवारों में से 132.36 लाख (90.18%) से अधिक परिवारों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

जबकि नासिक में, अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 1.71 लाख (23.85%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना मिली थी। अब तक, राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, लगभग 5.05 लाख और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, आज तक, राज्य के 7.18 लाख ग्रामीण परिवारों में से 6.76 लाख (94.22%) से अधिक परिवारों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है। इसके अलावा, जल आपूर्ति की अवधि का प्रबंधन स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, जेजेएम के तहत निष्पादित सभी कार्यों के लिए भुगतान उक्त कार्यों के तीसरे पक्ष के निरीक्षण के बाद ही किया जाना है।

इसके अलावा, नल कनेक्शन की कार्यशीलता का आकलन भी राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस), नासिक जिले द्वारा किए गए राष्ट्रीय कार्यशीलता मूल्यांकन 2024 के अनुसार, 97.9% परिवारों में नल जल कनेक्शन पाया गया, जिसमें 99.9% कनेक्शन काम करने की स्थिति में थे। इनमें से 63.3 प्रतिशत परिवारों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता है, 90.3 प्रतिशत को जिला रिपोर्ट के अनुसार पीने योग्य जल मिलता है और 99.2 प्रतिशत परिवारों को नियमित आपूर्ति मिलती है।

(ग) और (घ): घरों में जल आपूर्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, विभाग ने सुपुर्दगी स्थलों सहित ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति प्रणाली (आरपीडब्ल्यूएसएस) अवसंरचना के लिए परीक्षण प्रोटोकॉल को संशोधित किया है। प्रोटोकॉल के अनुसार, प्रत्येक गांव में, रासायनिक और बैक्टीरियोलॉजिकल दोनों मापदंडों के लिए हर महीने अलग-अलग परिवारों (सुपुर्दगी स्थलों) से 2 नमूने एकत्र किए जाने चाहिए।

इस विभाग के डब्ल्यूक्यूएमआईएस/आईएमआईएस पर राज्य द्वारा सूचित किए गए आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र के नासिक जिले में कुल 7 जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं

जिनके पास बैक्टीरियोलॉजिकल और रासायनिक मापदंडों का परीक्षण करने की क्षमता/सुविधाएं हैं। ये सभी प्रयोगशालाओं मामूली दरों पर जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु जनता के लिए उपलब्ध हैं।

(ङ): जल की कमी वाले क्षेत्रों में भरोसेमंद पेयजल स्रोतों की कमी, भूजल में भू-जेनिक संदूषकों की उपस्थिति, असमान भौगोलिक भू-भाग, बिखरी हुई ग्रामीण बसावटें, गांव में जल आपूर्ति अवसंरचना के प्रबंधन और प्रचालन के लिए स्थानीय ग्राम समुदायों की क्षमता की कमी आदि जैसी कुछ चुनौतियां हैं जिनका सामना मिशन के कार्यान्वयन में किया जा रहा है।

योजना और कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ-साथ महाराष्ट्र सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की निगरानी और सहायता करने के लिए, भारत सरकार ने पूरे देश में जेजेएम की योजना बनाने और कार्यान्वित करने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से वार्षिक कार्य योजना (एएपी) पर चर्चा करना और उसे अंतिम रूप देना, आयोजना और कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण और जानकारी साझा करने के लिए कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक टीम द्वारा क्षेत्र का दौरा आदि शामिल है।

***